<u>वेबसाइट/ई-मेल के माध्यम से</u>

स. 12015/05/2022 रा. भा. (त.क.)

**राजभाषा विभाग**

**गृह मंत्रालय**

**(तकनीकी कक्ष)**

*****

**एन.डी.सी.सी. II भवन**

**चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली**-110001

**दिनांक**: 16 /10/2023

**<u>कार्यालय ज्ञापन</u>**

**विषय स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर/टूल "कंठस्थ"** 2.0 **की ग्लोबल अनुवाद डेटाबेस को सुदृढ़ करने के लिए के ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन ।**

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने और समस्त सांविधिक एवं कानूनी उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है ।

**कंठस्थ** 2.0 "**अनुवाद सारथी**" को लोकप्रिय बनाने एवं उसके ग्लोबल डेटा बेस को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों /बैंकों/उपक्रमों/निगमों/बोर्डों बोर्डों इत्यादि के अनुवाद / राजभाषा अधिकारियों हेतु **01 नवम्बर, 2023 से 31 जुलाई, 2024 के दौरान कंठस्थ के माध्यम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता** के फलस्वरूप इस टूल का प्रयोग करने वाले सभी प्रयोक्ता लाभान्वित हो सकेंगे।

**अ) इस प्रतियोगिता के नियम/ शर्तें निम्नलिखित हैं** :-

1. इस प्रतियोगिता में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों /निगमों/बोर्डों इत्यादि के राजभाषा अनुवाद के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

2. प्रतिभागियों को अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में अनुवाद के ज्ञान के साथ-साथ कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने की जानकारी भी होनी चाहिए।

3. प्रतिभागी अनुवाद कार्य कंठस्थ 2.0 के वैब संस्करण के माध्यम से ही करेगें। अतः प्रतिभागी कंठस्थ के वैब संस्करण पर पंजीकृत होने चाहिए। प्रतिभागी अपने कार्यस्थल से प्रतियोगिता में भाग ले सकता है।

4. **01 नवम्बर,2023 से 31 जुलाई, 2024** के दौरान कंठस्थ ग्लोबल टीएम पर अपलोड किए गए अनुवाद कार्य टीएम (TM) की गणना प्रतियोगिता के लिए की जाएगी। **उक्त अवधि में प्रत्येक माह के दौरान ग्लोबल टीएम में कम से कम 2000 टीएम अपलोड करने वाले प्रतिभागियों को ही प्रतियोगिता में सम्मिलित माना जाएगा ।** कंठस्थ में 1 वाक्य को 1 टीएम के रूप में माना गया है।

5. टीएम की गणना करते समय सिस्टम द्वारा अंकों, संक्षिप्त नाम ( abbreviation) तथा 10 शब्दों से कम शब्दों वाली टीएम तथा डुप्लिकेट टी एम की गणना प्रतियोगिता हेतु नहीं की जाएगी।

6. ग्लोबल टीएम (TM ) पर डेटा केवल अधिकृत जांचकर्ता (Vetter) के द्वारा ही अपलोड किया जा सकता है।

7. अनुवादक/राजभाषा अधिकारी तथा जांचकर्ता को ग्लोबल टीएम पर डेटा अपलोड करते **समय टीएम की वर्तनी, वाक्य संरचना तथा अनुवाद आदि की तथ्यपरकता एवं गुणवत्ता आदि का ध्यान अवश्य रखना होगा** ताकि तथ्यपरक वाक्यों को ही डेटा-बेस में डाला जाए।

**आ) प्रतियोगिता के दौरान आने वाली समस्याओं हेतु निम्नलिखित प्रकार सहायता की जाएगी :-**

1. जिन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि ने कंठस्थ के सेंट्रल सर्वर (ग्लोबल टीएम ) पर डेटा अपलोड करने के लिए अपने कार्यालय से जांचकर्ता को अधिकृत नहीं कराया है, वे अपने कार्यालय से निम्नलिखित प्रारूप में सूचना उपनिदेशक /संयुक्त निदेशक / निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से techcell-ol@nic.in पर भेजकर जांचकर्ता को अधिकृत करा सकते हैं :-

| **क्र.सं.** | **मंत्रालय/ विभाग का नाम** | **जांचकर्ता (vetter) का नाम व पदनाम** | **कंठस्थ का यूजर आईडी** | **मोबाइल संख्या** | **ई-मेल आईडी** | **पुष्टि करने वाले अधिकारी नाम व पदनाम** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

2. प्रतियोगिता के समय किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए राजभाषा विभाग तथा सी-डैक की निम्नलिखित टीम सहायता प्रदान करेगी :

| **क्र.सं** | **नाम व पदनाम** | **संस्थान** | **मोबाइल नंबर** | **ई-मेल आई डी** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री दीपक कुमार, निरीक्षक | राजभाषा विभाग | 9568400689 | techcell-ol@nic.in |
| 2. | श्री मुनिराज मीणा तकनीकी सहायक | राजभाषा विभाग | 7976777426 | techcell-ol@nic.in |
| 3. | श्री मयंक राज प्रोजेक्ट इंजीनियर | सी-डैक पुणे | 7903537501 | Mayank@cdac.in |
| 4. | सुश्री स्वाति सिंह प्रोजेक्ट इंजीनियर | सी-डैक पुणे | 8210571452 | ssinghmoha@gmail.com |

**इ) प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा :-**

प्रतियोगिता का परिणाम प्रत्येक माह कंठस्थ की वेबसाइट पर तथा सितंबर, 2024 में राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

**ई) प्रतियोगिता हेतु पुरस्कारों को निम्नलिखित प्रकार से रखा गया है:-**

1. प्रतियोगिता के लिए सभी कार्यालयों को 03 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

(क) सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय/ अधीनस्थ कार्यालय

(ख) सभी बैंकों के मुख्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय

(ग) सभी उपक्रमों/निगमों/बोर्डों/ स्वायत्त संस्थानो के मुख्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय

2. 09 माह की प्रतियोगिता अवधि के दौरान, दो तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक माह के दौरान किए गए सर्वाधिक अनुवाद/वैटिंग कार्य के लिए उपर्युक्त क्रम संख्या (अ) (ब) एवं (स) में सूचीबद्ध प्रत्येक

श्रेणी के लिए 01 अनुवादक/राजभाषा अधिकारी एवं 01 जांचकर्ता का सचित्र विवरण कंठस्थ की वेबसाइट पर मासिक आधार पर दर्शाया जाएगा।

3. **कुल 09 माह की अवधि अर्थात 01 नवम्बर,2023 से 31 जुलाई, 2024** के दौरान कंठस्थ के ग्लोबल टीएम में सर्वाधिक टीएम (Translation Memory) जोड़ने वाले उपर्युक्त तीन श्रेणियों के शीर्ष 03-03 अनुवादकों/ राजभाषा अधिकारियों तथा 03-03 जांचकर्ताओं को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन / क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन/ तकनीकी सम्मेलन में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

अनिल कुमार

**(अनिल कुमार)**

**भारत सरकार के उप सचिव**

**प्रतिलिपि:-**

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता को अपने संबंद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं एवं प्रोत्साहित करें ।
2. भारत सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता को अपने संबंद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं एवं प्रोत्साहित करे
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो- अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशकों के ध्यान में लाएं ।
4. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशकों के ध्यान में लाएं।
5. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, नई दिल्ली ।
6. सी-डैक, पुणे - अनुरोध है कि प्रतियोगिता के सुचारु संचालन में सहयोग प्रदान करें।
7. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता के बारे में अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओ तथा केंद्र सरकार के स्वामित्व में आने वाले शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को सूचना परिचालित करें।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाएँ।
9. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान स्टाफ़ अधिकारी को सूचनार्थ ।
10. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ ।
11. सभी निदेशक, राजभाषा विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

अनिल कुमार

**(अनिल कुमार)**

**भारत सरकार के उप सचिव**